

पत्रांक-श्रम क०सं०-19/2025-140
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 01 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिक के आश्रित को रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए) तथा 01 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत श्रमिक के आश्रित को रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन), योजना, 2024 के अंतर्गत 02 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिकों के आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाग, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी / श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मोबाइल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ. एस्.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० गणेश रविदास, 36, रामरतन रविदास, अनुसूचित जाति	तेतरी देवी (पत्नी)	2129 08.05.2026 एवं 5295 09.12.2025	ग्राम-खरमैया घनरटोली, प०-खरमैया, पो०-तोप, थाना-शाहजहांपुर, जिला-पटना 8409400262	75510700 010549	DBGB PUNBOM BGB06	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
2	स्व० रोहित कुमार, 21, विजय दास, अनुसूचित जाति	मोनिका देवी (माता)	2129 08.05.2026 एवं 5469 20.12.2025	ग्राम-कुर्था, प०-इरदास विगहा, पो०-फतुहा था०-खगुरुपुर, जिला-पटना, 7782839007	50282560 003	INDIAN BABNK IDIB000K 848	रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, (ट्रक से ठोकर लगने के कारण) भवन निर्माण में मजदूर का कार्य
3	स्व० दुर्गु चौधरी, 63, किशुन चौधरी, अनुसूचित जाति	गीता देवी (पत्नी)	2129 08.05.2026 एवं 5475 20.12.2025	ग्राम-केवड़ा, वार्ड-01, पो०-केवड़ा, थाना-पुनपुन जिला-पटना 7091244106	29470001 00046441	PNB PUNB02 94700	रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर कार्य
4	स्व० हीरा पारावान, 47, कागेश्वर पारावान, अनुसूचित जाति	रेणु देवी (पत्नी)	2337 15.05.2026 एवं 5038 20.11.2025	ग्राम-प०-एकडंगा, थाना-बाढ़ जिला-पटना 9229691560	31660017 00116992	PNB PUNB03 16600	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर

कुल राशि :- रु० 2,30,000 /-
(दो लाख तीस हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RIGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।



4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-19/2025 - 140 पटना, दिनांक :- 05/06/2026
प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, पटना / उप श्रमायुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटीओ मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

05/06/2026

Signed by Rohit Kumar

Date: 05-06-2026 14:54:17

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक